(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 18/2020
रजिस्ट्रैशन सं0:– 2020/00183

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र पुष्प शंकर शर्मा उम्र 55वर्ष जाति शर्मा निवासी वार्ड नं0 13, रावण जी का चौक, लंका कॉलोनी जिला बाराँ(मौके पर मौजूद विक्रेता) मैसर्स राहुल किराना स्टोर, मुक्तिधाम मार्ग लंका कॉलोनी, जिला बाराँ।
2. श्री देवकी नन्दन पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी 4/162, रोझडी ग्राम तह. लाडपुरा जिला कोटा(नोमिनी) प्रबन्धक झालावाड–बारां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जिला झालावाड़
3. झालावाड–बारां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जिला झालावाड़

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गिरिराज शर्मा खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 3)

निर्णय दिनांक 24.08.2021

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक़्षा अधिकारी दिनांक 02.08.2019 को मैसर्स राहुल किराना स्टोर, मुक्तिधाम मार्ग लंका कॉलोनी, जिला बाराँ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र पुष्प शंकर शर्मा (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.08.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक [illegible]/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उसे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:16:45 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत टोण्ड दूध (सरस)** थैलियों में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत टोण्ड दूध** (सरस) में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत टोण्ड दूध** (सरस) वास्ते नमूना जांच हेतु **500 मि.ली. के 04 पोलीपैक थैलियाँ** खरीदी, जिसकी कीमत श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र पुष्प शंकर शर्मा(मौके पर मौजूद विक्रेता) को 80/– रूपये (अक्षरे अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत टोण्ड दूध** (सरस) **500 मि.ली. के 04 पोलीपैक थैलियों** को चार नमूना भागों मे अलग–अलग कर काँच की साफ, सूखी स्वच्छ शीशीयों में भरकर परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–946 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–946 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र पुष्प शंकर शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र कमांक/एफएसएसए/2019/369 दिनांक 24.09.2019 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 359/FSSA/KOTA/Act/ 2019/417 दिनांक 19.09.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत टोण्ड दूध** (सरस) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub standard)** एवं 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:16:45 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स राहुल किराना स्टोर, मुक्तिधाम मार्ग लंका कॉलोनी, जिला बाराँ से पत्रांक 373 दिनांक 25.09.2019 एवं पत्रांक 442 दिनांक 18.11.2019 से सूचना चाही। मैसर्स राहुल किराना स्टोर, मुक्तिधाम मार्ग लंका कॉलोनी, जिला बाराँ द्वारा प्रतिउत्तर में आधार कार्ड, खाद्य रजि0 पत्र एवं बूथ रसीद कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 16.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। अप्रार्थी क्रम 2 व 3 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों दोहराते हुए कहा कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत टोण्ड दूध (सरस)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub standard)** एवं 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Mis Branded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथन को दोहराते हुए कहा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **पाश्च्युरीकृत टोण्ड दूध (सरस)** वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा था, इसकी कोई भी सूचना अप्रार्थीगण को नहीं दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट की कोई भी प्रति अप्रार्थीगण को नहीं भिजवाई गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियम 2.4.5 के तहत लिए गए खाद्य नमूने की जांच सी.एफ.एल. में करवाने का अधिकार है, उस अधिकार का भी रिपोर्ट नहीं भेजकर हनन हुआ है एवं बिना किसी सूचना के प्रकरण में पार्टी बनाकर, गलत किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिस संस्थान से नमूना लिया था, उसके द्वारा भी फर्म से खरीद बिल नहीं होने बाबत् रजिस्टर पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है। झालावाड़ डेयरी द्वारा प्रतिदिन सभी दूध के नमूने की दो जांच स्वयं के लेब में मिल्क एनालाईजर एवं प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा की जाती है। प्रतिदिन जांच करने के बाद दूध विक्रय हेतु भिजवाया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच प्रक्रिया में दूध को नॉर्मल तापक्रम में करके एकरूप नहीं किया गया जिससे कुछ फैट थैली में लगी रह जाती है। इसलिये भी नमूना सबस्टैण्डर्ड आ सकता है। झालावाड़ डेयरी द्वारा पूर्ण जांच के बाद हीं, पूर्ण ग[illegible]क्त दूध का विपणन एवं विक्रय किया जाता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को दोषमुक्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:16:45 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुए कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 359/FSSA/KOTA/Act/ 2019/417 दिनांक 19.09.2019 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की

पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है। नमूना क्रमांक एएच–946 में अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा लगाये गये आक्षेप बाबत् फार्म नं0 5 निराधार है एवं जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में चाही गई सूचना की जानकारी भी अप्रार्थीगण को दूरभाष पर दी गई थी। नमूने की सम्पूर्ण जानकारी होने पर भी अनावश्यक रूप से अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विलम्ब किया गया। पूर्व में भी माननीय न्यायालय में इनके विरूद्ध 02 प्रकरण दर्ज किए जा चुके है जिन पर माननीय न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया जा चुका है और जुर्माना राशि जमा भी कराई जा चुकी है।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत टोण्ड दूध** (**सरस**) के 500 मि.ली. पौलीपेक थैली जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 359/FSSA/KOTA/Act/2019/417 दिनांक 19.09.2019 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub standard)** एवं धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Mis Branded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 1 को राशि 5000/– रूपये, अप्रार्थी क्रम 2 को राशि 5,000/– रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 3 को राशि 5,000 रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 15,000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:16:45 IST
Reason: SelfAttested